उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-25/2026/504 के-2 /22-3-25-17(214)/2020
लखनऊ: दिनांक: 21 जनवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी जगदेई (बन्दी संख्या-2073) पत्नी श्री श्रीराम, निवासिनी मिरदही टोला, श्यामनाथ मन्दिर के सामने, थाना-कोतवाली सीतापुर, जनपद-सीतापुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-887/2010 में भा0द0वि0 की धारा-302, 498ए व 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-08, सीतापुर के दण्डादेश दिनांक 14.11.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, की दिनांक 07.05.2022 तक आयु 73 वर्ष, 08 दिन होने, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त महिला बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर महिला बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
3- पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
4- अधीक्षक, नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ ।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।